इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वन अकादमी
Indira Gandhi National Forest Academy

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change

No. 679/NFA-2023/40.21/MCT Phase – IV (14) (4th Cycle) **Date: 06.07.2023**

To

The Chief Secretary
All State/UTs

Sub: Nomination of Indian Forest Service (IFS) officers for Mid-Career Training (MCT) Phase – IV (14) programme – regarding.

Sir,

This is to inform that in accordance with the existing MoEF&CC and DoPT, GoI guidelines, the 14th Course of the Phase – IV of the Mid-Career Training (MCT) programme for IFS officers of 2006, 2007 and 2008 YoA (14 – 16 years of service), the IFS officers of 2003, 2004 and 2005 YoA, who missed the 12th/ 13th Course and the IFS officers who have recently completed PSUC after induction into IFS on promotion from SFS is being organized by Indira Gandhi National Forest Academy (IGNFA), as per the following schedule:

Complete duration	Management Module at IIFM Bhopal	Line Ministry Module at Delhi	Forestry Module at IGNFA
14 August to 01 September 2023 (3 weeks)	14 to 19 August 2023 (1 week)	21 to 25 August 2023 (1 week)	28 August to 01 September 2023 (1 week)

2. The IGNFA has enlisted the eligible IFS officers for the aforesaid Course. It is to be noted that *the officers having less than three years of service left after the year in which he/she is supposed to undergo the Phase – III MCT as well as those who have not completed PSUC after induction into IFS on promotion from SFS* have been excluded. Accordingly, a list of 143 officers has been finalized, of which S.No. 1 – 100 are in Priority List – I and the S.No. 101 – 142 are in Priority List – II. The officers from the Priority List – II will be included to the extent of number of officers from the Priority List – I drop out or show his/her unavailability; otherwise, these officers would be invited in the next Course.

The complete list of the **142** officers, for whom the registration has been opened, is attached as Annexure – 'A'.

*The **01** officer who has missed the earlier two offers to participate in the MCT Phase – IV programme, needs to approach the MoEF&CC, Govt. of India, through the State being Government for seeking approval for the third offer. The list of such officer is attached as Annexure – 'B'.*

3. While preparing the list, the latest IFS Civil List – 2023 available at the MoEF&CC website has been used. However, the concerned administrative department and the Cadre Controlling Authority may kindly go through the Annexure – 'A' and arrange to nominate such eligible officers pertaining to the Year of Allocation (YoA) and meeting the criteria of the MCT programme, and their name being missed out in the list due to mistake or discrepancies, if any, with the source document.

The IGNFA shall incorporate these names in the subsequent list of nominations after getting confirmation from the MoEF&CC. The State Governments are, however, requested to convey the approval of participation for all the officers from their States figuring in the list so that further approval may not be required while including the officers from the waiting list.

4. As the above training programmes are being organized in association with National/International institutions and also involve tour component within the country participation of individual officer needs to be confirmed well in advance both by the concerned States as well as by the participants themselves. This may kindly be done latest by **31.07.2023.** It is also mentioned that keeping

in view the advance ticket booking and other commitments involved in the conduct of the training programme, it would not be possible to change a confirmed nomination to the training programme.

The nominated officers have to be relieved in time to enable them to join the training programme on 14.08.2023 at the Indian Institute of Forest Management (IIFM), Bhopal for the Management Module. During the programme, the participants will be provided single accommodation and under no circumstances the family members would be allowed to accompany during the entire training programme. This may clearly be brought to the notice of officers so that they do not face embarrassment of return of their families from places of training.

Since the MCT programme is no leave training, the officers may be advised not to carry any liability during the training period of 14.08.2023 to 01.09.2023 as absence from the training is not allowed.

5. The IGNFA has provided a link on its portal (www.ignfa.gov.in) with the details regarding the registration; the officers enlisted in Annexure – 'A' are required to complete the registration latest by **31.07.2023.**

6. Further, it is worth mentioning that the Indian Forest Service (Pay) Rules have been revised vide notification no. 20011/1/2006-AIS-II dated 21.02.2008 and its amendment through IFS (Pay) Second Amendment Rules, 2008 vide notification no. 14021/3/2008-AIS-II dated 27.09.2008, to make successful completion of these MCT programmes compulsory for award of Junior Administrative Grade, II[nd] Super time scale and further increments to the concerned officers. Therefore, it would be the responsibility of the concerned State Government and the officers themselves to be in a position to attend the programme on first nomination only as per the schedule. Failure to attend the said training, without express approval of MoEF&CC, GoI, would mandatorily attract the consequences laid down in the IFS (Pay) Rules, for which this Academy or the MoEF&CC shall not be responsible.

This programme could not be conducted since last three years due to the disruptions caused by Covid-19 pandemic. Therefore, it is desirable that maximum number of the concerned IFS officers who are due/overdue to undergo MCT Phase – IV are relieved to join this programme. As such, active support of State Government is solicited in ensuring the successful conduct of the programme with maximum possible participation of the nominated officers.

Yours faithfully,

Encl: As above

5/7/23

(Bharat Jyoti)
Director, IGNFA

Copy for information and necessary action to:

1. The Secretary Ministry of Housing and Urban Areas; Ministry of Steel; Ministry of Jal Shakti; Ministry of External Affairs, Ministry of Mines; Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution; Ministry of Agriculture & Farmers Welfare and Ministry of Commerce & Industry.
2. The Chief Executive Officer, NITI Aayog, New Delhi.
3. The Addl. Chief Secretary/Principal Secretary (Forests) of all States/UTs.
4. The Principal Chief Conservator of Forests (HoFF) of all States/UTs.
5. The Dy. Director General of Forests (C), MoEF&CC IRO, Chandigarh; Chennai and Dehradun.
6. The Director, Institute of Wood Science and Technology (IWST), Bangalore.
7. The Addl. Director, Wildlife Crime Control Bureau, New Delhi.

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वन अकादमी
Indira Gandhi National Forest Academy

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change

पत्र सं. 679 /रा.व.अ.-2023/40.21/एमसीटी फेज – III (12) (चक्र-4) **दिनांक: 06 .07.2023**

सेवा में,

सभी राज्यों/ सं.शा.क्षेत्रों के

मुख्य सचिव

विषय **मिड कैरियर ट्रेनिंग (एमसीटी) के फेज – IV (14) कार्यक्रम हेतु भारतीय वन सेवा (भा.व.से.) अधिकारियों के नामांकन के संबंध में।**

महोदय,

सूचित किया जाना है कि पर्या.व.ज.परि. मंत्रालय तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के वर्तमान दिशा-निर्देश के अनुसरण में, 2006 तथा 2007 आवंटन वर्ष (14 – 16 वर्ष की वरिष्ठता) वाले भावसे अधिकारियों, 12वे/13वे पाठ्यक्रम में भाग लेने से चूक गए 2003, 2004 तथा 2005 आवंटन वर्ष वाले भा.व.से. अधिकारियों तथा रा.व.से. से भा.व.से. में पदोन्नत होने के उपरांत हाल ही में पीएसयूसी पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके अधिकारियों के लिए इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वन अकादमी द्वारा एमसीटी के फेज – IV के 14वे पाठ्यक्रम का आयोजन निम्न कार्यक्रमानुसार किया जा रहा है:

संपूर्ण अवधि	भा.व.प्र.सं. भोपाल में प्रबंधन मॉड्यूल	दिल्ली में लाइन मिनिस्टरी मॉड्यूल	इं.गां.रा.व.अ. में वानिकी मॉड्यूल
14 अगस्त से 01 सितंबर 2023 (3 सप्ताह)	14 से 19 अगस्त 2023 (1 सप्ताह)	21 से 25 अगस्त 2023 (1 सप्ताह)	28 अगस्त से 01 सितंबर 2023 (1 सप्ताह)

2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी द्वारा उपर्युक्त पाठ्यक्रम के लिए नामांकन सूची तैयार कर ली गई है। *ऐसे अधिकारियों को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है जिनकी शेष सेवा अवधि उनके इस पाठ्यक्रम में शामिल होने के अपेक्षित वर्ष के उपरांत तीन वर्ष से कम है अथवा जिन अधिकारियों ने राज्य वन सेवा से पदोन्नति के उपरांत व्यावसायिक कौशल उन्नयन पाठ्यक्रम (पी.एस.यू.सी.) पूर्ण नहीं किया है।* तद्नुसार, इस पाठ्यक्रम के लिए 143 अधिकारियों के नाम निश्चित किए गए हैं जिनमें क्रम संख्या 1 – 100 तक के अधिकारी प्राथमिकता सूची – I में शामिल हैं जबकि क्र.सं. 101 से 142 तक के अधिकारी प्राथमिकता सूची – II में शामिल हैं। प्राथमिकता सूची – II के अधिकारियों को पाठ्यक्रम के लिए तब आमंत्रित किया जाएगा जबकि पहले प्राथमिकता सूची-I के अधिकारियों में से कुछ अनुपस्थित रहें अथवा उपस्थित होने में अपनी असमर्थता व्यक्त करें। अन्यथा, इन अधिकारियों को अगले पाठ्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा।

सभी **142** अधिकारियों, जिनके लिए पंजीकरण खोला गया है, की पूरी सूची 'संलग्नक-ए' के रूप में संलग्न है।

ऐसे 01 अधिकारी जो एमसीटी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पूर्व में दिए गए दो अवसरों पर चूक गए हैं, वे अपने लिए तीसरे अवसर के अनुमोदन हेतु संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। ऐसे अधिकारियों की सूची 'संलग्नक-बी' के रूप में संलग्न है।

3. सूची तैयार करते समय प.व.ज.प.मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम भा.व.से. सिविल लिस्ट – 2023 की सहायता ली गई है, तथापि, संबंधित प्रशासनिक विभाग और संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों से अनुरोध है कि कृपया वे 'संलग्नक-ए' का अवलोकन कर ऐसे पात्र अधिकारियों को नामित करने की व्यवस्था करें जो उपरोक्त आबंटन वर्ष के दायरे में आते हैं और एम.सी.टी. कार्यक्रम में नामांकन हेतु अन्य योग्यताएँ भी रखते हों किन्तु मूल दस्तावेजों में किसी गलती के कारण उनके नाम इस सूची में शामिल होने से रह गए हैं।

प.व.ज.प.मंत्रालय से पुष्टि होने पर अकादमी द्वारा इन नामों को अगली नामांकन सूची में शामिल कर लिया जाएगा। राज्य सरकारों से अनुरोध है कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति देते समय वे कृपया संलग्न सूची में शामिल अधिकारियों में से अपने राज्य के सभी अधिकारियों की प्रतिभागिता की अनुमति प्रदान करें ताकि प्रतीक्षा सूची से किसी अधिकारी की प्रतिभागिता के लिए पुन: स्वीकृति लेने की आवश्यकता न हो।

4. चूंकि उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्न विख्यात राष्ट्रिय/अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से आयोजित किए जा रहे हैं और इसमें देश के अंतर्गत कराए जाने वाले दौरे भी शामिल हैं, अत: आवश्यक है कि नामित अधिकारी की प्रतिभागिता की पुष्टि स्वयं

डाकघर न्यू फॉरेस्ट, देहरादून - 248006
P.O. New Forest, Dehradun - 248006
दूरभाष : 0135 - 2225999
Phone : 0135 - 2754647
फैक्स : 0135 - 2757314
Email : director@ignfa.gov.in
Website: http://www.ignfa.gov.in

अधिकारियों और उनके संबंधित राज्यों द्वारा समय रहते कर दी जाए। कृपया यह पुष्टि अधिकतम **31.07.2023** तक अवश्य कर दी जाए। यहां यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अग्रिम टिकट बुकिंग तथा अन्य प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पुष्ट किए गए नामांकन में अंतिम समय में बदलाव करना संभव नहीं होगा।

नामित अधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु समय से कार्यमुक्त किया जाना होगा ताकि वे 14.08.2023 को भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (भा.व.प्र.सं.), भोपाल में प्रबंधन मॉड्यूल में भाग लेने हेतु उपस्थित हो सकें। कार्यक्रम के दौरान सभी प्रतिभागियों को एकल आवास उपलब्ध कराया जाएगा और किसी भी परिस्थिति में प्रशिक्षण अवधि और अध्ययन दौरों के समय उन्हें अपने परिजनों को साथ रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कृपया यह बात सभी अधिकारियों के संज्ञान में लाई जाए ताकि उन्हें प्रशिक्षण स्थल से अपने परिजनों को वापस भेजने जैसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

चूंकि एम.सी.टी. कार्यक्रम एक गैर-अवकाश प्रशिक्षण कार्यक्रम है अत: कृपया अधिकारियों को यह सलाह दें कि वे 14.08.2023 से 01.09.2023 की प्रशिक्षण अवधि के बीच कोई ज़िम्मेदारी न लें क्यूंकि उन्हें प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5. इं.गां.रा.व.अ द्वारा अपनी वेबसाइट (www.ignfa.gov.in) पर पंजीकरण की सुविधा के साथ संबंधित विवरण भी उपलब्ध कराया गया है अत: संलग्नक-ए में सूचीबद्ध अधिकारियों को **31.07.2023** तक पंजीकरण पूरा करना आवश्यक है।

6. यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि दिनांक 21.02.2008 की अधिसूचना सं. 20011/1/2006-AIS-II के द्वारा भा.व.से. (वेतन) नियमावली का पुनरीक्षण किया गया है; तथा दिनांक 27.09.2008 की अधिसूचना सं. 14021/3/2008-AIS-II के द्वारा जारी भा.व.से. (वेतन) द्वितीय वेतन संशोधन नियमावली 2008 के द्वारा इसमें हुए संशोधन के अनुसार संबंधित अधिकारियों को आगे की पदोन्नतियाँ प्राप्त करने के लिए इन एमसीटी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूर्ण करना आवश्यक है। अतएव, यह राज्य सरकार एवं स्वयं संबंधित अधिकारी की ज़िम्मेदारी है कि वे प्रशिक्षण हेतु आमंत्रित किए जाने पर तय कार्यक्रम के अनुसार उपस्थित हों। प.व.ज.प. मंत्रालय के स्पष्ट अनुमोदन के बिना उक्त प्रशिक्षण में उपस्थित रहने में असफल होना संबंधित अधिकारी के विरुद्ध भा.व.से. (वेतन) नियमावली में उल्लिखित कार्रवाई को आकर्षित करेगा जिसके लिए यह अकादमी अथवा प.व.ज.परि. मंत्रालय उत्तरदायी नहीं होगा।

पिछले तीन वर्षों से कोविड-19 महामारी के कारण हुए व्यवधानों के कारण यह कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सका। इसलिए, यह वांछनीय है एमसीटी फेज – IV कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लंबित चल रहे अधिकारियों में से अधिकतम को इसमें भाग लेने के लिए अवमुक्त किया जाए। इस प्रकार, नामित अधिकारियों की अधिकतम संभव भागीदारी के साथ कार्यक्रम के सफल आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार का सक्रिय समर्थन प्रार्थनीय है।

विश्वासभाजन,

संलग्नक – यथोपरि

भारत 5/7/23

(भारत ज्योति)
निदेशक, इं.गां.रा.व.अ.

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रति –

1. सचिव, आवास एवं शहरी क्षेत्र मंत्रालय; इस्पात मंत्रालय; जल शक्ति मंत्रालय; विदेश मंत्रालय, खान मंत्रालय; उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय; कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग, नई दिल्ली।
3. सभी राज्यो/सं.शा.क्षेत्रों के मुख्य सचिव / प्रधान सचिव (वन)।
4. सभी राज्यो//सं.शा.क्षेत्रों के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)।
5. उप वन महानिदेशक (सी), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, आईआरओ, चंडीगढ़; चेन्नई और देहरादून.
6. निदेशक, लकड़ी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (आईडब्ल्यूएसटी), बैंगलोर।
7. अतिरिक्त. निदेशक, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, नई दिल्ली।